भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2551

बुधवार, 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

2551. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. सुकांत मजूमदार:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 विनिर्माण क्षेत्रों को वैश्विक चैम्पियन बनाने के लिए प्रोत्साहन संबद्ध योजना (पी.एल.आई.) की घोषणा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पी.एल.आई. से प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में स्केल और साइज प्राप्त करने, वैश्विक चैम्पियन के निर्माण और उनके संरक्षण तथा युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी;

(ङ) यदि हां तो ,सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ङ): 'आत्मनिर्भर' बनने के भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए राजकोषीय वर्ष 2021-22 से आरंभ करते हुए 5 वर्ष की अवधि के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों हेतु पीएलआई स्कीमों के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई है। इन 13 क्षेत्रों में पहले से मौजूद 3 क्षेत्र नामत: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण शुरुआती सामान/मध्यवर्ती औषधियां और सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक तथा (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण और हाल

ही में नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 10 नए प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। ये 10 प्रमुख क्षेत्र हैं:

(i) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (ii) फार्मास्युटिकल्स ड्रग्स, (iii) विशिष्ट इस्पात, (iv) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (v) इलेक्ट्रॉनिक्स/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, (vi) बड़ी इलैक्ट्रिकल वस्तुएं (एसी और एलईडी), (vii) खाद्य उत्पाद, (viii) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (ix) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, और (x) एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी।

पीएलआई स्कीम संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी तथा यह कुल निर्धारित वित्तीय सीमाओं के भीतर होगी।

पीएलआई स्कीमों से उम्मीद की जाती है कि इस स्कीम के तहत स्थापित वैश्विक अग्रणी कंपनियों के लिए विस्तृत आपूर्तिकर्ता आधार की स्थापना को सक्षम बनाएं। इससे प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार और विकास करने तथा वैश्विक अग्रणी कंपनियों को पोषित करने में सहायता मिलेगी। सभी इकाइयों के एक साथ मिलकर कार्य करने से भारत में बड़ी संख्या में प्राथमिक और गौण रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी।

(च): भारत सरकार मेक इन इंडिया कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश सहायता के तहत निरंतर प्रयास कर रही है ताकि संभावित निवेशकों की पहचान की जा सके। मेक इन इंडिया के अंतर्गत देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम, शिखर सम्मेलन, रोड-शो तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के आयोजन हेतु विदेश में स्थित भारतीय मिशनों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। देश में एफडीआई को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए निवेश आउटरीच क्रियाकलाप किए जा रहे हैं।

हाल ही में, सरकार ने जारी स्कीमों के अलावा भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय विनिर्माण पाइपलाइन, कॉर्पोरेट कर में कटौती, एनबीएफसी और बैंकों की तरलता संबंधी समस्याओं को कम करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय शामिल हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के जरिए वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को सहयोग, सहायता और निवेशक अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून, 2020 को सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के गठन तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से निवेश में तेजी लाने तथा परिणामस्वरूप घरेलू निवेश और एफडीआई अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं की पाइपलाइन में बढ़ोतरी करने हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के गठन को भी अनुमोदित किया है।

****